



बिजली बिल राहत योजना 2025-26

पहली बार 100% ब्याज माफी के साथ मूलधन में भी भारी छूट।

पहली बार बढ़े हुए बिलों को सिस्टम द्वारा स्वतः सही करने की सुविधा।

1 दिसंबर 2025 - 28 फरवरी 2026

योजना में मिलने वाली छूट

- ★ मूलधन में 25% तक की भारी छूट
- ★ सरचार्ज/ब्याज में 100% छूट
- ★ छोटी-छोटी आसान किश्तों में जमा करने की सुविधा
- ★ बढ़े हुए बिलों को सिस्टम द्वारा अपने आप औसत खपत (144 यूनिट/किलोवाट) के हिसाब से कम करने की सुविधा
- ★ सभी प्रकार के बिजली चोरी मामलों में भी राहत व मुकदमे से छुटकारा

प्रथम चरण - 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक

द्वितीय चरण - 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक

तृतीय चरण - 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक

विद्युत बिलों में छूट

2 किलोवाट भार तक के घरेलू एवं 1 किलोवाट भार के दुकानदार उपभोक्ता जिन्होंने कभी भुगतान नहीं किया हो या 31 मार्च 2025 के बाद भुगतान नहीं किया हो।

पंजीकरण शुल्क - ₹2000/-

(यह राशि आपके बिल में समायोजित कर दी जाएगी)

एकमुश्त भुगतान करने पर -

ब्याज में 100% छूट

- ★ प्रथम चरण में पंजीकरण कराकर 30 दिनों में पूर्ण भुगतान करने पर मूलधन पर 25% छूट
- ★ द्वितीय चरण में पंजीकरण कराकर 30 दिनों में पूर्ण भुगतान करने पर मूलधन पर 20% छूट
- ★ तृतीय चरण में पंजीकरण कराकर 30 दिनों में पूर्ण भुगतान करने पर मूलधन पर 15% छूट

किश्तों में भुगतान करने पर ब्याज में 100% छूट

- ★ ₹750 की मासिक किश्त और बिल समय से जमा करने पर मूलधन में 10% की छूट
- ★ ₹500 की मासिक किश्त और बिल समय से जमा करने पर मूलधन में 5% की छूट

डिफॉल्ट की स्थिति

भुगतान की तिथि तक महीने के विद्युत बिल एवं महीने की किश्त धनराशि जमा न करने पर -

- ★ पहली बार समय से भुगतान में चूकने पर ₹50/- की पेनल्टी
- ★ दूसरी बार समय से भुगतान में चूकने पर ₹150/- की पेनल्टी
- ★ तीसरी बार समय से भुगतान में चूकने पर ₹300/- की पेनल्टी
- ★ चौथी बार समय से भुगतान में चूकने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा

उपभोक्ता पंजीकरण एवं भुगतान स्वयं www.uppcl.org पर अथवा विभागीय कार्यालय,
UPPCL Consumer App, फिनटेक एजेंट, मीटर रीडर एवं जनसेवा केंद्र के माध्यम से कर सकते हैं।

विद्युत चोरी के मामलो में छूट

(यह छूट समस्त भार एवं श्रेणी के चोरी के मामलों पर लागू होगी)

पंजीकरण धनराशि ₹ 2000/- अथवा राजस्व निर्धारण धनराशि
का 10%, जो भी अधिक हो।

- ★ प्रथम चरण में पंजीकरण कर 30 दिन के अंदर राजस्व निर्धारण का 50% भुगतान
(अर्थात 50% की छूट) एवं शमन शुल्क जमा करना होगा।
- ★ द्वितीय चरण में पंजीकरण कर 30 दिन के अंदर राजस्व निर्धारण का 55% भुगतान
(अर्थात 45% की छूट) एवं शमन शुल्क जमा करना होगा।
- ★ तृतीय चरण में पंजीकरण कर 30 दिन के अंदर राजस्व निर्धारण का 60% भुगतान
(अर्थात 40% की छूट) एवं शमन शुल्क जमा करना होगा।

उपभोक्ता पंजीकरण एवं भुगतान स्वयं www.uppcl.org पर, जनसेवा केंद्र , फिनटेक
एजेंट अथवा खण्ड/उपखण्ड कार्यालय के माध्यम से कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए ☎ 1912

जल्दी आर्यें, ज्यादा छूट पायें!